

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला-झुन्झुनूं (राज0)
मिराल मन्थाना- 2025/04 कैम्प स्थल

--आदेश:-

दिनांक:- 18.07.2025

(स्थगन दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड)

(रिपोर्ट क्र. 1722 दि. 14.3.25)

पार्शी के "खाता-दूररती" प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर तहसील (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र0स0	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टी (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टी जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5	6
1.	सिधौड़	2073-76	229	शमस्वरूप पुत्र धनशी	शमस्वरूप मादवपुत्र धनशीराम। शेष खाता प्रविष्टि यथावत्।

नोट:- शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि पर रहन या स्थगन हो तो रहन मुक्त होने/स्थगन आदेश हटने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

(~~सहित~~)

18.07.2025

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।

2. पार्शी / प्रार्थिका श्री शमस्वरूप मादवपुत्र धनशीराम

जाति..... जट्टीर

निवासी..... सिधौड़

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

